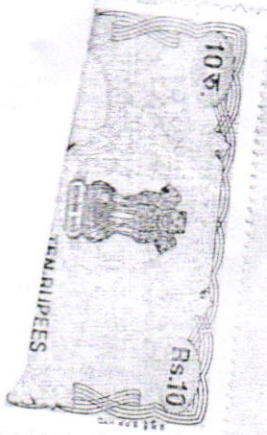

दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 रुपये TEN RUPEES

10रु. TEN RUPEES Rs.10

॥श्री ॥ प्रकरण क्रमांक -

प्रस्तुती दिनांक: 18/7/18

माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प इन्दौर

निगरानी- 4483/2018/इंदौर/भू.रा

जगन्नाथ पिता छीतर जी

ग्राम भिचोली मर्दाना, इंदौर तर्फे - - - प्रार्थी

आममुखत्यार श्यामलाल पिता जगन्नाथ

विरुद्द

1/- जगदीश पिता धन्नालाल शर्मा

ग्राम दूधिया राममंदिर केपास तहसील

व जिला इंदौर

2/- धर्मेन्द्र पिता जगदीश शर्मा नि0 सदर

3/- राजेश पिता जगदीश शर्मा नि0 सदर

- - - प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन पत्र:- अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 केतहत।

मान्यवर महोदय,

माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील संयोगितागंज इंदौर के राजस्व प्रकरण क्रमांक - 05-अ-12/ 2017-18 मेपारित प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 23/5/2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर उसे निरस्त करने तथा प्रकरण के अंतिम निराकरण होने के पूर्व अंतरिम आदेश प्रदान करने हेतु यह निगरानी आवेदन सादर प्रस्तुत है-

प्रकरण के संक्षिप्त घटनाक्रम :

1/- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि- प्रार्थी की ग्राम बडियाकीमा पटवारी हल्का नंबर 05 ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4483/2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-2018	आवेदक की ओर से श्री एम.एस. तोमर, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता व स्थगन पर सुना गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में आवेदक के आने-जाने का रास्ता अवरूद्ध किया जाना पाया गया है, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 32 का आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण कार्यवाही है । उनके द्वारा संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार कर, तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर, अंतरिम रास्ता खोले जाने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया । 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय को सर्वप्रथम आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र का निराकरण करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा उक्त आवेदन पत्र अंतिम आदेश तक लम्बित रखा गया है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । तहसील न्यायालय प्रथमतः स्थल निरीक्षण के आधार पर अन्तरिम रास्ते के सम्बन्ध में 10 दिवस में निर्णय लेवें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	